

स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

आवेदन-पत्र

वर्ष -

3293

पासपोर्ट साईज अर्थात्
3.5 x 3.5 सेंटीमीटर
के आकार का नवीनतम
छायाचित्र संलग्न करें
जिसमें धूप का चश्मा,
टोपी धारित न हो।

- कार्यालय रसीद क्रमांक आवेदन पत्र क्रमांक
1. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए एल-एल.बी. भाग सेमेस्टर
 2. आवेदक का पूरा नाम (अ) (देवनागरी लिपि में)
उपनाम सहित (ब) (अंग्रेजी में)
(Capital Letters)
 3. आवेदक का स्थायी पूर्ण पता नाम
(साफ-साफ लिखें) घर का पता वार्ड नं. मोहल्ला दूरभाष क्र.
पो. तह. जिला
 4. आवेदक का स्थायी पूर्ण पता नाम
(साफ-साफ लिखें) घर का पता वार्ड नं. मोहल्ला दूरभाष क्र.
पो. तह. जिला
 5. जन्म तिथि (अ) (अंकों में)
(ब) (शब्दों में)
(स) 15 जून को आयु वर्ष माह दिवस
 6. पिता/पति का पूरा नाम
 7. पिता/पति का व्यवसाय व पूर्ण पता
 8. माता का नाम
 9. (अ) पिता/पति के छत्तीसगढ़ में रहने की अवधि
 - (ब) यदि पिता/माता न हो तो पालक नाम
का पूरा नाम, पता पता
एवं आवेदक से सम्बन्ध सम्बन्ध
 - (स) यदि पिता/पति/पालक स्थानीय नाम
न हो तो स्थानीय संरक्षक का पूरा पता
नाम, पता एवं आवेदक से सम्बन्ध सम्बन्ध
 10. यदि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति छ.ग.
शासन के तृतीय या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की
संतान, सेवा में नियुक्त कर्मचारी की संतान
हो तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र
संलग्न किया जाये.
 11. प्रमाण पत्र प्रस्तुति के अभाव में आवेदक का
आवेदन पत्र सामान्य वर्ग में पढ़ा जावेगा



12. (अ) उस अन्तिम संस्था का नाम जिसमें अध्ययन
किया तथा अध्ययन का शैक्षणिक सत्र
- (ब) बी.ए./बी.कॉम./बी.एस-सी.
अन्तिम परीक्षा किस वर्ष में उत्तीर्ण की गई
13. विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक
14. (अ) उस अन्तिम परीक्षा का माध्यम
(ब) अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत
15. क्या गत 5 वर्षों में आवेदक का अध्ययन जारी रहा है
यदि नहीं तो कारण एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये ।
16. तथा गैप (अन्तराल) सर्टिफिकेट संलग्न किया जावे
17. क्या गत वर्षों में आवेदक ने इस महाविद्यालय अथवा
अन्य महाविद्यालयों में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के
लिए आवेदन किया था तथा उसे प्रवेश नहीं दिया
गया, यदि ऐसा हो तो पूर्ण विवरण
18. क्या आवेदक ने इस सत्र में महाविद्यालय अथवा
किसी अन्य महाविद्यालय में अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश
के लिए आवेदन किया है, यदि हां तो उसका पूर्ण
विवरण
19. क्या आवेदक सेवारत है ? यदि हो तो विवरण
देकर नियोक्ता की महाविद्यालय अध्ययन के लिये
लिखित अनुमति संलग्न की जावे
20. शैक्षणिक पाठ्येत्तर गतिविधियां खेलकूद,
एन.सी.सी. आदि का पूर्ण विवरण
21. आवेदक की शैक्षणिक प्रगति का विवरण
22. आवेदक का मोबाइल नम्बर
23. आवेदक का वाट्सअप नम्बर
24. आवेदक का ई-मेल आई.डी.

कक्षा	वर्ष	परीक्षाएं उत्तीर्ण करने का पूर्ण विवरण			अन्तिम वर्ष की शिक्षण संस्था का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
		रोल नंबर	विषय	परीक्षाफल		
हाई स्कूल						
हायर सेकेंडरी						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
एल.एल.बी.प्रथम-प्रथम सेमेस्टर						
एल.एल.बी.प्रथम-द्वितीय सेमेस्टर						
एल.एल.बी.द्वितीय-प्रथम सेमेस्टर						
एल.एल.बी.द्वितीय-द्वितीय सेमेस्टर						
एल.एल.बी.तृतीय-प्रथम सेमेस्टर						
अन्य						

अर्हता रखने वाले आवेदकों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, प्रमाण पत्रों के अभाव में यह माना जावेगा कि आवेदक उक्त अर्हता का पात्र नहीं है।

- (1) अनुसूचित-जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय या चतुर्थ वर्ग की संतान होने का प्रमाण-पत्र।
- (2) भिन्न विश्वविद्यालय से आवेदन हेतु माइग्रेशन प्रमाण-पत्र।
- (3) भिन्न प्रदेश से आये आवेदक को शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) से प्राप्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- (4) अगर आवेदक किसी खेल, सांस्कृतिक गतिविधि, एन.सी.सी. आदि में भाग लिया हो तो उसका प्रमाण-पत्र।
- (5) विगत वर्ष का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल में।
- (6) विगत मैट्रिक्युलेशन से लेकर सभी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (7) बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नवीन प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विधि खण्ड एक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में सामान्य वर्ग 45%, पिछड़ा वर्ग 42% एवं एस.सी./एस. टी. वर्ग 40% से कम अंक प्राप्त छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
- (8) गलत तथ्य बताकर लिये गये प्रवेश बाद में रद्द होने पर जमा किया गया कोई शुल्क वापस नहीं होगा।
- (9) महाविद्यालय में आवश्यक 75% उपस्थिति दर्ज न हो तो परीक्षा फार्म अग्रेसित करने से रोका जावेगा।
- (10) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम जो चालू सत्र से लागू होगा उसी में परीक्षा देनी होगी। प्रवेश विवरणिका में सम्पूर्ण नियमों की जानकारी मैंने ले ली है।
- (11) ऐसे छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों या दोष सिद्ध हों या उन पर पूर्व सत्र में छात्रों, अधिकारियों या कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का आरोप हो।

संलग्न - आलेखों की सूची :

घोषणा - पत्र

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

मैं _____ आत्मज _____ या घोषित

करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण किसी भी दांडिक न्यायालय में नहीं चल रहा है अर्थात् न ही किसी अपराध के लिए मुझे दोषी सिद्ध किया गया है। मेरे विरुद्ध छात्रों, अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार का कोई भी आरोप नहीं है।



आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मैंने महाविद्यालय के समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का सदैव पालन करता/करती रहूँगा/रहूँगी तथा महाविद्यालय में अथवा उसके बाहर एवं परीक्षाओं में किसी भी अव्यवस्था या अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भाग नहीं लूँगा/लूँगी तथा न ही महाविद्यालय में मैं किसी भी छात्र/छात्रा की रैगिंग लूँगा/लूँगी। न ही किसी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः सहयोगी होऊँगा/होऊँगी। महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करूँगा/करूँगी। अंतिम तिथि तक यदि शिक्षण शुल्क जमा नहीं कर सका/सकी तो अगले माह की पहली तारीख से मेरा नाम महाविद्यालय के रजिस्टर से निरस्त कर दिया जा सकेगा। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चूँकि महाविद्यालय व्यावसायिक है एवं खेलकूद का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उससे संबंधित किसी भी वस्तु या सामान को महाविद्यालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहूँगा/रहूँगी। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के चयन के आधार पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर मात्र टी.ए. एवं डी.ए. का ही हकदार रहूँगा/रहूँगी।

विधि पाठ्यक्रम एक नियमित श्रेणी का पाठ्यक्रम है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अशासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत नहीं हूँ। मैं महाविद्यालय में नियमित उपस्थित रहूँगा/रहूँगी।

मैंने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपरोक्त प्रतिज्ञा के उल्लंघन करने की स्थिति में यदि मेरा प्रवेश निरस्त किया जाये व अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पिता/माता/पालक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय विवरण पुस्तिका के नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उसके अध्ययनकाल में उसके आचरण, उपस्थिति तथा दैनंदिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा/दूँगी तथा उसको रैगिंग लेने एवं किसी तरह सहयोगी होने से उसको अलग रखूँगा/रखूँगी तथा अगर वह ऐसा करते पाया जाता है तो उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी एवं महाविद्यालय को अनुशासन बनाये रखने में पूर्ण सहयोग देता रहूँगा/रहूँगी एवं मेरा स्थायी निवास, नाम व पूर्ण पता

है।

स्थान :

दिनांक :

पिता/माता/पालक के पूर्ण हस्ताक्षर

स्थानीय संरक्षक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि विधि कक्षा के द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय विवरण पुस्तिका के नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैं छात्र/छात्रा के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा/रहूँगी एवं मेरा स्थायी निवास है।

स्थान :

दिनांक :

संरक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर

आदेश

* केवल कार्यालयीन उपयोग के लिये :

आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ली गई है तथा उन्हें ठीक पाया गया। उनमें निम्नलिखित अपूर्णताएँ हैं तथा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं :-

(1)

(2)

आवेदक को कक्षा एल-एल.बी.भाग

में प्रवेश दिया जाता है।

प्रभारी प्राध्यापक

वरिष्ठ प्रभारी प्राध्यापक

